

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था./2017

रायपुर, दिनांक / /2017

कार्यालय-आदेश

पूर्व में अनेक अवसरों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय समय पर उपस्थित होने हेतु कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं, किन्तु यह देखा गया है कि कुछ अधिकारी /कर्मचारी आदतन कार्यालय समय में न आते हुए 15 मिनट से 1 घण्टा तक विलम्ब से आ रहे हैं ।

बायोमेट्रिक्स उपस्थिति में 10:40 बजे तक उपस्थिति दर्ज करना आवश्यक है, अन्यथा आधे दिन का अवकाश पूर्व में जारी कार्यालय आदेश अनुसार स्थापना शाखा द्वारा काटा जा सकेगा ।

अपवाद स्वरूप कोई विलम्ब से आता है, के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा, किन्तु आदतन विलम्ब से आने वालों के लिए यह छूट नहीं होगी ।

आदेश से,

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 15/2/2017

पृ. क्रमांक 206 /वि.स./स्था./2017

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निज सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
02. सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
03. सर्वर कक्ष ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा